केरल विश्वविद्यालय

बनाम

परिषद, प्राचार्य महाविद्यालय, केरल व अन्य

9 अप्रैल. 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, न्यायाधीशगण]

जाँच आयोग अधिनियम, 1952 :

धारा-3 सपठित धारा-5(1)-जाँच आयोग-उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति-सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि किसी भी उच्च न्यायालय का कोई भी वर्तमान न्यायाधीश आयोग के रूप में आगे कार्य नहीं करेगा - हस्तक्षेप आवेदन राज्य सरकार द्वारा आदेश के संशोधन हेतु प्रस्तुत हुआ - विचार कई पहलुओं के होने चाहिए जिनमें निर्धारक "सर्वोपिर राष्ट्रीय हित" का कोण भी शामिल है-तथ्यों पर, आयोग द्वारा जांच किए जा रहे मुद्दों को दर्शित नहीं किया गया है कि वे सर्वोपिर राष्ट्रीय हित के है-हस्तक्षेप आवेदन ने "सर्वोपिर राष्ट्रीय हित" को अस्वीकार किया - न्यायपालिका-उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश-जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

उड़ीसा राज्य ने 2004 की विशेष अनुमित याचिका (सी) संख्या 24295 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27/11/1996 के आदेश में संशोधन के लिए वर्तमान हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसके तहत न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी मामले में किसी भी उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश जांच आयोग के रूप में जारी नहीं रहेगा, सिवाय इसके कि जांच अंतिम चरण में हो। अपीलार्थी-राज्य के लिए यह तर्क दिया गया था कि टी. फेन वाल्टर के मामले में आदेश के पैरा 16 (1) को मद्देनजर, आयोग के रूप में एक कार्यरत न्यायाधीश की निय्क्ति संभव थी।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि -

- 1.1. जाँच आयोग के रूप में उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति सिहत सर्वोपिर राष्ट्रीय हित के लिए कई पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए-यह नहीं दिखाया जा सका कि आयोग द्वारा जिन मुद्दों की जांच की जा रही है, वे किस प्रकार सर्वोपिर राष्ट्रीय हित के हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के पत्रों को पढ़ने से ऐसा कहीं नहीं लगता कि राज्य सरकार या मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को सर्वोपिर राष्ट्रीय हित मानते हुए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की आयोग के रूप में नियुक्ति की मांग की हो, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ भी कहा है, वह "समस्या की गंभीरता" के बारे में है। यहाँ तक कि अधिसूचना की तारीख 04/02/2006 यह नहीं दशार्ता है की यह सर्वोपिर राष्ट्रीय हित है। [पैरा 5 और 6] [944-सी-डी; 992-ई]
- टी. फेन वाल्टर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य [2002] एस.सी.आर. 134200 (6) एस.सी.सी. 184, पर भरोसा किया।
- 1.2. हालांकि प्रार्थी-सरकार का मामला यह है कि आयोग को केवल छुट्टियों पर काम करने की अनुमित थी, जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है की जब आयोग के रूप में एक वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था, को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जवाब के लिए अनुरोध किए जाने पर इस पर विचार किया गया हो इसके अलावा, यह रुख कि आयोग को औद्योगीकरण आदि जैसे विभिन्न अन्य पहलुओं पर सिफारिश करने की आवश्यकता थी जिसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि किस आधार पर आयोग के रूप में नियुक्त एक वर्तमान न्यायाधीश औद्योगीकरण आदि जैसे

व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डाल सकता है। किसी भी स्थिति जांच के मापदंडो में ये पहलू शामिल नहीं हैं। [पैरा 7] [994-सी-ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः हस्तक्षेप आवेदन संख्या. 6

में

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 24295/2004

रिट याचिका (सी.) 2003 (एस) की सं. 30845 में केरल उच्च न्यायालय के एर्नाकुलम के निर्णय और आदेश दिनांक 24.06.04 पारित हुआ।

आर. सतीश, डॉ सुशील बलवाड़ा और पूजा धर (एपी एंड जे चैंबर्स के लिए) वास्ते अपीलार्थी।

गोपाल सुब्रमण्यम, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, सुषमा सूरी, अभिषेक तिवारी, ई.एम.एस. अनम, के.आर. शिषप्रभु, एम.के.माइकल, एम.के.डी. नम्बूदिरी, वी.जी. प्रगसम, शिवाजी एम. जाधव, ख्वैरकपम नोबिन सिंह, काढ़ा श्याम जेना, टी.वी. जॉर्ज और सुनील कुमार द्विवेदी अधिवक्तागण वास्ते।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया

1. आदेश दिनांक 27/11/2006 में संशोधन हेतु उड़ीसा राज्य ने इसके लिए हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया है। उक्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी मामले में किसी भी उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश आयोग के रूप में जारी नहीं रहेगा। हालाँकि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ जांच अंतिम चरण में है, यानी केवल वहाँ लागू होगा जहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

- 2. आवेदन के समर्थन में, राज्य के विद्वान विकास ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित मुख्यमंत्री के पत्र में उजागर की गई "गंभीर समस्या" पर विचार करते हुए राज्य सरकार के अनुरोध पर एक वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। हालांकि शुरूआत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक वर्तमान न्यायाधीश को आयोग के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। किथत तौर पर "समस्या की गंभीरता" पर विचार करते हुए उन्होंने आयोग के रूप में कार्य करने के लिए एक वर्तमान न्यायाधीश के नाम का सुझाव दिया था। हालाँकि, यह कहा गया था कि आयोग उच्च न्यायालय के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप किए बिना केवल शनिवार, रविवार और अन्य उच्च न्यायालय की छुट्टियों पर ही बैठकें और पूछताछ करेगा। तदनुसार, न्यायमूर्ति ए. एस. नायडू को आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि आयोग से विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने की उम्मीद है जो राज्य सरकार को औद्योगीकरण, विस्थापन और नागरिकों, विशेष रूप से आदिवासियों के अधिकारों जैसे बड़े मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेंगे।
- 3. श्री गोपाल सुब्रमण्यम, विद्वान अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार का आवेदन स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है, यह पूरी तरह से गलत धारणा है। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27/11/2006 में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वर्तमान न्यायाधीशों को आयोग के रूप में कार्य क्यों नहीं करना चाहिए।
- 4. इस समय इस न्यायालय द्वारा टी. फेन वाल्टर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य [2002] 6 एससीसी (184) के मामले जो कहा गया है उस बात पर ध्यान देना उचित होगा। हालांकि प्रार्थी-सरकार के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्णय के अनुच्छेद 16 (1) के संदर्भ में, आयोग के रूप में एक कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति

अनुमेय है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे निर्णय के पैराग्राफ 14 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:-

"अक्सर वर्तमान न्यायाधीशों को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया जाता है। आम तौर पर इससे कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है, बर्शत है कि जांच कि कार्यावाही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायिक कार्य को प्रतिक्ल ढंग से प्रभावित किए बगेर संचालित हो। हालांकि, किसी जांच आयोग की अध्यक्ष्ता या अन्य न्यायिक कार्य करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायाधीशों पर अनावश्यक बोझ पैदा होगा और यह न्याय प्रशासन को प्रभावित करेगा। इन आयोगों के काम में काफी समय लगता है और ऐसे कई उदाहरण है जहां आयोग का काम वर्षों तक चलता रहा है। यदि एक वर्तमान न्यायाधीश की नियक्ति प्रमुख अघ्यक्ष के रूप में गैर-न्यायिक कार्य के सम्पादन हेत् कि जाती है तो इससे अनावश्यक रूप से न्यायाधीशों पर कार्यभार बढ़ेगा और वे अपने नियमित न्यायिक कार्य का सम्पादन करने की स्थिति में नही होंगे। उच्च न्यायालयों में बढ़ते हुए लंबित मुकदमों को देखते हुए ऐसे आयोगों के कार्य के लिए न्यायाधीशों की सेवाएं लेना मुश्किल होगा। इसके अलावा, जांच आयोग के द्वारा दी गयी महत्ता अक्सर मात्र अनुशंसाकारक ही होती है न कि सरकार पर बाध्यकारी होती है। आयोग की रिपोर्ट को अक्सर नजरंदाज कर दिया जाता है और सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नही की जा रही है। कुछ मामलों में, जब राजनीतिक मुद्दे भी शामिल होते हैं, तो कभी-कभी क्छ बाहरी और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के कारण न्यायालय की वस्तुनिष्ठता पर भी सवाल उठाया जा सकता है। संविधान और कानून के शासन के संरक्षक के रूप में न्यायालय की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को बनाए रखना होगा। यह वांछनीय है कि जांच आयोग के रूप में नियुक्ति के कारण न्यायाधीशों को अवांछित आलोचना का शिकार न होना पड़े। न्यायालय की छवि और अधिकारिता, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, को बरकरार रखना होगा। जस्टिस हार्लन एफ. स्टोन ने 1953 में एक पत्र में लिखा था: "यह हमारे न्यायालय की एक लंबी परंपरा रही है कि इसके सदस्य समितियों में सेवा नहीं करते हैं या अन्य सेवाएं करते हैं जिनका न्यायालय के काम से सीधा संबंध नहीं है। [कानून समीक्षा (खंड 87, 1953-54)] इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग के रूप में एक मौजूदा कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति केवल दुर्लभ अवसरों पर ही की जानी चाहिए यदि यह देश के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक हो।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

- 5. मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के पत्रों को पढ़ने से ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने मामले पर विचार कर मामाले को "सर्वोपिर राष्ट्रीय हित" मानते हुए उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की आयोग हेतु नियुक्ति लायक मामला माना हो। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह "समस्या की गंभीरता" के बारे में है।"
- 6. यहां तक कि 4 फरवरी, 2006 की अधिसूचना भी इसे सर्वोपरि राष्ट्रीय हित का संकेत नहीं देता है। जो केवल इस प्रकार से है -

"उड़ीसा राजपत्र''

असाधारण

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

नं. 127, कटक, गुरुवार, 9 फरवरी, 2006/माघ 20, 1927 गृह (विशेष खंड) विभाग

अधिसूचना

4 फरवरी 2006

क्रमांक सं. 20/2006-जबिक राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि 2 जनवरी 2006 को जयपुर जिले के किलंग नगर में पुलिस गोलीबारी हुई थी, जिसमें 12 व्यक्तियों सिहत एक पुलिस हवलदार की भी मौत हो गयी थी।

- 2. और जबिक राज्य सरकार गोलीबारी की घटना से बहुत चिंतित है और उनकी राय है कि, यह सार्वजनिक महत्व का मामला है, इसकी जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जांच आयोग द्वारा की जानी चाहिए।
- 3. इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार माननीय श्री ए. सूर्यनारायण, न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय, को शामिल करते हुए एक जांच आयोग नियुक्त करती है और उड़ीसा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर निम्नलिखित मामलों के संबंध में जांच करने और रिपोर्ट पेश करने को कहती है, अर्थात्:
- (i) 2 जनवरी 2006 को कलिंग नगर में पुलिस गोलीबारी की घटनाओं और परिस्थितियों के अनुक्रम का विश्लेषण।
- (ii) क्या, किए गये उपाय, प्रयोजित किये गये बल की मात्रा, स्थितियों का पुरवानुमान लगाना, रोकना और संभालना पर्याप्त था, अपर्याप्त या आवशयकता से अधिक और इसके लिए किए गए कार्य व लोभ हेतु जिम्मेवारी।

- (iii) घटना को प्रभावित करने, भड़काने या बढ़ाने में संगठनों, व्यक्तियों के समूह या कारणों, यदि कोई हो, की भूमिका, आचरण और जिम्मेदारी;
- (iv) उससे संबंधित या अनुसांगिक कोई अन्य मामला जिसे आयोग उचित समझे।
- 4. इसके अलावा, राज्य सरकार की राय है कि, की जाने वाली जांच की प्रकृति और घटना से संबंधित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के प्रावधानो द्वारा इस जांच के संचालन पर लागू होने चाहिए। इसलिए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि उपरोक्त प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।
- 5. आयोग का मुख्यालय कटक में होगा। हालाँकि, आयोग किलंग नगर या किसी अन्य स्थान पर भी जांच कर सकता है, जिसे वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।

(संख्या 632/C)

राज्यपाल के आदेश से

संतोष कुमार

सरकार के प्रधान सचिव"

7. यद्यपि प्रार्थी-सरकार के विद्वान वकील आवेदक द्वारा पूर्वाजोर यह आग्रह किया गया था कि आयोग को केवल छुट्टियों पर काम करने की अनुमित थी जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जैसा कि टी. फेन वाल्टर के मामले (सुप्रा) में उल्लेख किया गया है, विचार-विमर्श निर्धारक "सर्वोपिर राष्ट्रीय हित" कोण सहित कई पहलुओं पर होने चाहिए। आयोग के रूप में एक वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अनुरोध

किए जाने और उच्च न्यायालय के जवाब को स्वीकार करने पर इस पर विचार नहीं किया गया प्रतीत होता है। हमें यह नहीं दिखाया जा सका कि आयोग द्वारा जिन मुद्दों की जांच की जा रही है, वे किस प्रकार सर्वोपरी राष्ट्रीय हित के हैं। यह रुख कि आयोग को औद्योगीकरण आदि जैसे विभिन्न अन्य पहलुओं पर सिफारिश करने की आवश्यकता थी, जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि, आयोग के रूप में नियुक्त एक वर्तमान न्यायाधीश किस आधार पर औद्योगीकरण आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डाल सकता है। किसी भी स्थिति में, जांच के मापदंडों में ये पहलू शामिल नहीं हैं।

8. हम निर्देशित करते हैं कि प्रस्तुत हस्तक्षेप आवेदन गुण्वता रहित होने से खारिज योग्य है। हस्तक्षेप आवेदन खारिज किया गया है।

आर.पी.

हस्तक्षेप आवेदन बर्खास्त।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मदनलाल भाटी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।